अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 51(2) ग्रावि/नरेगा/राजस्थान सम्पर्क/शिका./56192/2018–19/पार्ट–3 जयपुर, दिनांक 31.05.2019 31 MAY 2019

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम, राजस्थान
समस्त राजस्थान।

विषय :–राजस्थान सम्पर्क हैल्पलाईन पर उपलब्ध शिकायत प्रकरणों के निस्तारण बाबत।

प्रसंग :–समसंख्यक पत्रांक दिनांक 31.05.2013, 12.07.2013, 11.07.2014, 25.08.2017 25.10.2017, 27.11.2017, 06.07.2018 एवं 25.02.2019 अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 18.03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर उपलब्ध महात्मा गांधी नरेगा योजना से संबंधित लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया था। परंतु परिशिष्ट '1' पर संलग्न अवधिवार लम्बित प्रकरणों की आदिनांक स्थिति के अनुसार 6622 प्रकरण लम्बित है। सम्पर्क पोर्टल पर प्रकरणों की निस्तारण हेतु प्रावधान है कि पोर्टल पर दर्ज प्रकरण सीधे ही एल–1 स्तर पर निस्तारण हेतु प्रेषित किये जाते है। जिन्हें एल–1 अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में निरस्तारण किया जाना है। प्रकरणों का निस्तारण किसी भी स्तर (एल–1, एल–2 एवं एल–3) से संभव है।

परंतु अधिकांश प्रकरण में एल–1 स्तर पर कार्यवाही नहीं किये जाने से एल–2 स्तर पर एवं एल–2 स्तर से निर्धारित समय पर कार्यवाही नहीं किये जाने से एल–3 स्तर पर हस्तांतरित हो रहे है। आदिनांक स्थिति के अनुसार 1318 प्रकरण एल–3 स्तर पर स्वतः हस्तान्तरित हो गये है।

एल–3 स्तर पर उपलब्ध प्रकरणों का निस्तारण एल–1/एल–2 स्तर की टिप्पणी के पश्चात ही संभव है। अतः एल–3 स्तर से प्रकरणों पर टिप्पणी/कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जाते है, जो एल–1/एल–2 के डेश बोर्ड पर वरिष्ठ स्तर के प्रकरणों में प्रदर्शित होते है। उक्त प्रकरणों के निस्तारण संबंधी सूचना एल–1/एल–2 स्तर से अपलोड किया जाना आवश्यक है।

जिला एवं राज्य स्तर पर प्रकरणों के निस्तारण संबंधी अनावश्यक प्रक्रिया का विस्तार न हो इस हेतु एल–1/एल–2 अधिकारी द्वारा नियमित अवलोकन किया जावे। शिकायतों का निस्तारण समयसीमा में नहीं होने की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह कन)
परि0 निदे0 एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचातयी राज विभाग।
2 निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग।
3 जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त राजस्थान।
4 अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस।
5 वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
6 अधिशाषी अभियंता (ए), ईजीएस।
7 प्रोग्रामर, ईजीएस
8 अधिशाषी अभियंता, महात्मा गांधी नरेगा, समस्त राजस्थान।
9 श्री रिंकू छीपा, एमआईएस मैनेजर को वेबसाईट **nrega.raj.nic.in** पर अपलोड कराने हेतु।
10 रक्षित पत्रावली।

परि0 निदे0 एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

Scanned by CamScanner

RAJASTHAN SAMPARK

District Wise Grievance Report

District : All , Department : Mgnrega , Category : All , Duration : 02-Jan-2014 to 31-May-2019

Grievance Report					
	Pendency Status (Non-Inclusive)				
Category	Total	0 - 30 days	1 - 6 Month	6 Month - 1 Year	More than 1 year
Barmer	1046	198	848	227	55
Bharatpur	309	247	62	16	23
Sri Ganganagar	119	92	27	2	9
Nagaur	253	140	113	20	13
Jhalawar	235	174	61	5	24
Ajmer	199	171	28	0	6
Hanumangarh	127	96	31	7	1
Baran	187	154	33	1	9
Jodhpur	299	179	120	2	28
Bundi	216	137	79	21	14
Sawai Madhopur	114	84	30	7	17
Bhilwara	227	118	109	19	19
Alwar	324	147	177	44	13
Karauli	186	81	105	38	38
Jaipur	535	148	387	85	68
Bikaner	451	70	381	142	20
Kota	190	169	21	3	3
Tonk	157	134	23	5	4
Dausa	133	103	30	11	10
Churu	163	75	88	3	20
Jalor	258	65	193	74	15
Jaisalmer	127	61	66	20	16
Banswara	57	29	28	0	5
Pali	132	100	32	4	6
Udaipur	41	27	14	1	3
Dhaulpur	108	94	14	0	7
Pratapgarh	79	52	27	5	3
Jhunjhunu	77	45	32	1	4
Dungarpur	45	16	29	11	3
Chittorgarh	57	28	29	3	12
Rajsamand	95	28	67	25	4
Sikar	57	41	16	0	2
Sirohi	19	16	3	0	1
Total	**6622**	**3319**	**3303**	**802**	**475**

Scanned by CamScanner